(92)

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेष ग्वालियर

निगरानी /2015 निग - 3991 - I-15

वीरेन्द्र कुमार तनय श्री रामकिशोर अग्निहोत्री निवासी ग्राम खैरी तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र. ।

..................आवेदक

विरूद्ध

बाबूलाल उर्फ बब्बू बसोर पिता मुन्नी बसोर निवासी ग्राम खैरी तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र. .

........................अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू– राजस्व सहिता 1959 के अतर्गत एवं सहपठित धारा 32 के अंतर्गत विरूद्ध श्रीमान नायव तहसीलदार महोदय प्रभारी क्षेत्र बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण कमाक 75/अ–6/2014–2015 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2015 से दुखित होकर निगरानी ।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से निवेदन निम्न प्रकार है–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खेरी की भूमि खसरा नम्बर 972 किता 1 रकवा 0.672 है0 का खाता अनावेदक के नाम है उक्त भूमि के जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 12 .3.2014 से आवेदक द्वारा कय किया था। उक्त भूमि के विकय पत्र के आधार पर आवेदक ने नामांतरण कराने हेतु आवेदन पत्र विधिवत एंव नियमानुसार धारा 109,110 म.प्र. भू–राज्य संहिता 1959 के तहत अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर के समक्ष पेश किया जिसका प्रकरण क

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 3997 दो /2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एंव विवरण	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता
4-2-16	आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये तथ प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी नायव तहसीलदार, वृत्त बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 75 अ–6/2014–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20–11–15 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के अनुसार आवेदक ने ग्राम खेरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 972 रकबा 0.672 हैक्टर अनावेदक बाबूलाल बसोर पुत्र मुन्नी बसोर निवासी ग्राम खैरी से जर्य पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 12.3.14 से कय की है एंव कय उपरांत नायव तहसीलदार के समक्ष नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत किया, परन्तु नायव तहसीलदार वृत्त बसारी के समक्ष विकेता व्दारा सहमति देने एंव अन्य कोई आपत्ति न आने के वाद भी उसका नामांत्रण न करे प्रकरण में बेबजह विलम्ब कर रहे हैं। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि ग्राम खेरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 972 रकबा 0.672 हैक्टर विकय पत्र दिनांक 12–3–14 के पूर्व बाबूलाल बसोर पुत्र मुन्नी बसोर निवासी ग्राम खैरी के स्वत्व एंव स्वामित्व की होकर उसके नाम शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी दर्ज रही है जिसे उसने विकय पत्र दिनांक 12.3.14 से आवेदक के हित में	

R 3997. I/15

विक्रय किया है। आवेदक ने विक्रय पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार के समक्ष नामांत्रण आवेदन दिनांक 25–2–15 को प्रस्तुत किया है इसके उपरांत नायब तहसीलदार ने प्रकरण में इसी तिथि को इस्तहार जारी करने के आदेश दिये हैं । इस्तहार जारी होने पर कोई आपत्ति नहीं आई है एंव विक्रेता भी नामान्तरण करने पर सहमति दे रहा है। ग्राम खेरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 972 रकबा 0.672 हैक्टर अनावेदक बाबूलाल बसोर पुत्र मुन्नी बसोर निवासी ग्राम खैरी के नाम सन् 1969 से शासकीय अभिलेख में अंकित आ रही है जैसाकि प्रस्तुत खसरा प्रमाणित प्रतिलिपियों की छायाप्रति से प्रमाणित है । जब रिकार्डेड भूमिस्वामी ने भूमि विक्रय की है । इस्तहार जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं आई है विक्रेता नामान्तरण पर सहमति व्यक्त कर रहा है एंव राजस्व न्यायालय विक्रय पत्र की बैधता की जांच करने हेतु सक्षम नहीं है तथा विक्रय पत्र पर से स्वत्व का प्रश्न विनिश्चित न होकर मात्र शासकीय अभिलेख अद्वतन किया जाता है, विक्रय पत्र दिनांक 12.3.14 पर से नामान्तरण किये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार, वृत्त बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 75 अ–6/2014–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20–11–15 को निरस्त करते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि विक्रय पत्र दिनांक 12.3.14 पर से वाद विचारित भूमि पर आवेदक की सुनवाई कर 30 दिवस के भीतर नामांत्रण किया जावे।

सदस्य